जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED), राजस्थान

राज्य की ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों के लिए संचालन और रखरखाव (O&M) नीति – 2026

1. प्रस्तावना

राजस्थान सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त परिवारो को सुरक्षित, पर्याप्त, विश्वसनीय और दीर्घकालीन पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। एकल ग्राम योजनाओं (SVS), बहु ग्राम योजनाओं (MVS) एवं बल्क वॉटर योजनाओं (BWS) के माध्यम से लाभान्वित कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों के विस्तार के साथ इनका प्रभावी संचालन और संधारण (O&M) आवश्यक हो गया है। यह नीति ग्रामीण पेयजल प्रणालियों की दीर्घकालीन उपादेयता सुनिश्चित करने के साथ–साथ इसके सफल, प्रभावी और स्थायी संचालन एवं संधारण के लिए एक व्यापक तकनीकी, वित्तीय, प्रशासनिक और संस्थागत ढांचा स्थापित करने में कारगर सिद्ध होगी।

2. परिभाषाऐं – इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

1. **''अधिनियम''** से अभिप्रेत है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 है।
2. **''बिल संग्रहकर्ता''** से अभिप्रेत है ग्राम में पेयजल योजना के माध्यम से प्रदाय करने जा रहे पेयजल के लिए उपभोक्ताओं से जल प्रभार एकत्र करने के लिए प्रतिनियुक्त व्यक्ति।
3. **''व्यवसायिक कनेक्शन''** से अभिप्रेत है, ऐसे नल कनेक्शन जिनमें उपभोक्ता द्वारा जल का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है ।
4. **''उपभोक्ता''** से अभिप्रेत है, वह व्यक्ति जिसके नाम अथवा संस्था के नाम से या पदनाम से इन नियमों के अन्तर्गत नल कनेक्शन लिया गया है।
5. **''ग्रामीण जल प्रदाय योजना''** से अभिप्रेत है, किसी ग्राम में कुआं, पाईप लाईन, हैण्डपम्प या किसी अन्य स्त्रोत के माध्यम से पेयजल प्रदाय की योजना
6. **''क्रियाशील घरेलू (हाउस होल्ड) नल कनेक्शन''** से अभिप्रेत है, ग्राम में नल जल प्रदाय योजना के माध्यम से पेयजल की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किसी परिवार द्वारा अपने परिवार के उपयोग के लिए लिया गया नल कनेक्शन
7. **''औद्योगिक कनेक्शन''** से अभिप्रेत है, ग्राम में जल प्रदाय योजना के माध्यम से औद्योगिक उपयोग के प्रयोजन के लिए लिया गया नल कनेक्शन
8. **''संस्थागत कनेक्शन''** से अभिप्रेत है, नल जल कनेक्शन, जो शासकीय शिक्षण संस्थाओं, सरकारी अस्पतालों, आंगनबाडी केन्द्रों अन्य सहकारी संस्थानों केन्द्र व राज्य शासन के संस्थान, और अन्य सरकारी कार्यालयों, भवनों तथा संगठनों के लिए लिया गया हो
9. **''निजी संस्थागत कनेक्शन'** से अभिप्रेत है, नल जल कनेक्शन जो गैर शासकीय संस्थानों के लिए लिया गया है
10. BDO – Block Development Officer
11. BFM – Bulk Flow Meter
12. BIS – Bureau of Indian standard
13. BWS –Bulk Water Scheme (बल्क वॉटर योजना)
14. DFU - De-Fluoridation Unit
15. DSSAP - District Source Sustainability Action Plan
16. DSS - Decision Support System-DSS
17. DTU – District Technical Unit जिला तकनीकी इकाई
18. DWSM - District Water & Sanitation Mission (जिला जल एवं स्वच्छता मिशन)
19. FHTC- (Functional Household Tap Connection) कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन
20. FTK- Field Test Kit
21. GP - ग्राम पंचायत

22. HGJ - हर घर जल
23. IEC- Information, Education & Communication (सूचना, शिक्षा व संचार)
24. IT- Information Technology सूचना प्रौद्योगिकी
25. IoT – Internet of Things
26. JJM जेजेएम – जल जीवन मिशन
27. JTS- Junior Technical Supervisor
28. KPI (Key performance Indicator): इसके द्वारा लक्ष्यों के निर्धारण एवं लक्ष्य के प्रतिप्रगति का मूल्यांकन, ऑर्गेनाईजेशन के मिशन का पता लगाने एवं हितधारकों की पहचान इत्यादि जैसे कार्यों को किया जाता है
29. LFAD- Local Fund Audit Department – स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग
30. MIS - Monthly information system
31. MVS- Multi Village Scheme (बहु ग्राम योजना)
32. NRW- Non Revenue Water (गैर राजस्व जल)
33. O&M - (Operation and Maintenance) संचालन एवं संधारण
34. PHED ''पीएचईडी'' - Public Health Engineering Department जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
35. RWSSC- Rajasthan Water Supply & Sewerage Corporataion
36. SCADA – Supervisory Control & Data Acquisition
37. SOP- (Standard Operating Procedure) मानक संचालन प्रक्रिया
38. SSC - Source Sustenance Committee
39. SVS - Single Village Scheme एकल ग्राम योजना
40. SWSM - Sate Water and Sanitation Mission राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन
41. Tariff **''जल प्रभार''** से अभिप्रेत है, प्रत्येक घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक तथा संस्थागत कनेक्शन द्वारा प्रदाय किए गए जल के विरूद्ध देय प्रभार
42. VTC - Village Transfer Chamber
43. VB-G RAM G विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)
44. VWSC-Village Water & Sanitation Committee **''वी.डब्ल्यू.एस.सी''** ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति से अभिप्रेत है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में वर्णित स्थायी समिति
45. WIMS - Water Information Management System
46. WTP - Water Treatment Plants जल उपचार संयंत्र

3. **दृष्टिकोण**

ग्रामीण पेयजल योजनाओं मे समुदाय का स्वामित्व, प्रौद्योगिकी–सक्षम प्रबंधन एवं पेयजल आपूर्ति प्रणालियों का स्थायी रूप से संचालन एवं संधारण सुनिश्चित करना, जो विश्वसनीयता, समानता, न्यायसंगत और दीर्घकालिक दक्षता एवं प्रभावशीलता सुनिश्चित करें।

4. **उद्देश्य**

- ग्राम, क्लस्टर, ब्लॉक और जिला स्तरों पर संस्थागत तंत्र को मजबूत करना।
- ऐसी कार्यप्रणाली का प्रयोग जिससे सुधारात्मक, सुरक्षात्मक और पूर्वानुमानित संचालन एवं रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।
- वीडब्ल्यूएससी (VWSC) और क्लस्टर समितियों के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी द्वारा जल प्रबंधन को बढ़ावा देना।
- पारदर्शिता, जवाबदेहिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना।
- जल सूचना प्रबंधन प्रणाली (WIMS- Water Information Management System), SCADA, API और IoT प्रौद्योगिकीं के माध्यम से पेयजल तंत्र की वास्तविक समय में निगरानी को सुनिश्चित करना।

- पेयजल गुणवत्ता, निगरानी एवं प्रदूषित जल के निवारण कार्यवाही की प्रणालियों में सुधार करना।

5. नीति का दायरा

- यह नीति राजस्थान में सभी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं (भूतल एवं सतही स्त्रौत पर आधारित)– एकल ग्राम योजनाओं (SVS), बहु ग्राम योजनाओं (MVS), बल्क जलापूर्ति योजनाओं (BWS), आर.ओ. प्लांट, सौर उर्जा आधारित नलकूप एवं सौर उर्जा आधारित डी–फ्लोराइडेशन यूनिट (De-Fluoridation Unit - DFU) योजनाओं पर लागू होगी।
- ग्राम पंचायत और VWSC ग्रामीण पेयजल संचालन एवं संधारण आपूर्ति हेतु विकेन्द्रीकृत इकाई के रूप में कार्य करेंगे। जल जीवन मिशन के तहत निर्मित पेयजल योजनाऐं हस्तांतरित करने के साथ–साथ उस ग्राम में स्थित पूर्व में निर्मित सभी संसाधनो जैसे नलकूप, पम्प हाउस, फिल्टर प्लांट, आर.ओ. प्लांट, सौर उर्जा आधारित नलकूप, सौर उर्जा आधारित डी–फलोराइडेशन यूनिट (De-Fluoridation Unit - DFU) इत्यादि भी हस्तांतरित किये जायेंगे, जिससे ग्राम की पेयजल व्यवस्था पूर्ण रूप से संचालित की जा सके।
- बहुग्राम पेयजल योजनाओं (MVS) में कॉमन ग्राम/हैड वर्क्स/वी.टी.सी. तक संचालन एवं संधारण हेतु बल्क मीटरिंग के आधार पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) एवं RWSSC की जिम्मेदारी रहेगी।
- ग्राम स्तर पर बुनियादी ढांचे का संचालन, संधारण और प्रबंधन ग्राम पंचायतों/ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा किया जाएगा, जो ग्राम स्तर की लघु सेवा प्रदाय निकाय (Micro Utilities) के रूप में कार्य करेंगी।
- गांव से बाहर के बुनियादी ढांचे और थोक जल (Bulk Water)/ट्रांसमिशन मेन योजनाओ के संचालन एवं संधारण की जिम्मेदारी PHED के पास रहेंगी, जो तकनीकी विश्वसनीयता, हाइड्रोलिक बेलेंस इत्यादि द्वारा पूर्ण मात्रा में थोक जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वृहद सेवा प्रदाय निकाय (Macro Utilities) के रूप में कार्य करेंगी।

6. संस्थागत ढांचा

6.1 **ग्राम पंचायत स्तर** – ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) –ग्राम पंचायत स्तर पर संचालन एवं संधारण के लिए जिम्मेदार प्राथमिक निकाय होगा। जेजेएम 2.0 के तहत, ग्राम–स्तरीय जल आपूर्ति वितरण के लिए जिम्मेदार ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) को ग्राम–स्तरीय लघु सेवा प्रदाय निकाय (Micro Utilitiy) के रूप में मान्यता दी गई है। लघु सेवा प्रदाय निकाय के रूप में VWSC सेवा प्रदायगी के लिए सामुदायिक संपर्क माध्यम के रूप में कार्य करेगी, स्थानीय उपयोगकर्ताओं के प्रति सेवा स्तर, नागरिकों की संतुष्टि और जवाबदेही सुनिश्चित करेगी।

भारत सरकार द्वारा जारी जल जीवन मिशन 2.0 की दिशा निर्देशो के अनुसार VWSC ग्राम पंचायत की स्थायी समिति के रूप में कार्य करेगी, जिसे राज्य पंचायती राज अधिनियम या उसके तहत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत वैधानिक आधार प्राप्त होगा। पेयजल योजनाओ के संचालन एवं संधारण हेतु पूर्व में गठित समिति का पुनर्गठन भी ग्राम पंचायत स्तर पर उपरोक्त नियमो के अनुसार किया जा सकेगा।

जल जीवन मिशन 2.0 के दिशा निर्देशानुसार ग्रामीण जल प्रदाय योजना के कार्य संचालन प्रारम्भ करने तथा सामुदायिक स्वामित्व सौंपने की प्रकिया को जन भागीदारी से जोडने हेतु जल अर्पण दिवस मनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत निम्नानुसार एक मॉडल चैकलिस्ट तैयार

कर, योजना के हस्तांतरण की प्रकिया में सामुदायिक सहभागिता अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने हेतु प्रमुख रूप से निम्न घटक होंगेः–

- ट्रायल रन के दौरान सामुदायिक जुड़ाव – योजना के 15 से 20 दिवस के परीक्षण संचालन के दौरान ग्रामपंचायत/VWSC की सक्रिय भागीदारी।
- ग्राम सभा/जन चौपाल के माध्यम से सत्यापन – कमीशनिंग स्थिति, सेवा मानक, O&M की तैयारी इत्यादि का ग्राम सभा / समुदाय द्वारा सत्यापन।
- प्रणाली के विवरण में पारदर्शिता – निर्मित परिसम्पत्तियों, As-built drawings, एसेट रजिस्टर, जल परीक्षण रिर्पोट इत्यादि ग्रामपंचायत/VWSC एवं समुदाय को उपलब्ध करवाना।
- स्थानीय हितधारकों का अभिमुखीकरण – ग्राम पंचायत, VWSC एवं समुदाय को संचालन–संधारण हेतु समय–समय पर कार्यक्रम।
- जल अर्पण के माध्यम से औपचारिक हस्तांतरण – समारोहपूर्वक योजना का ग्राम पंचायत/VWSC को हस्तांतरण।
- सार्वजनिक प्रकटीकरण एवं सामुदायिक जागरूकता – योजना से संबंधित समस्त जानकारी यथा सेवा स्तर, जल गुणवत्ता, शिकायत निवारण की प्रकिया इत्यादि का व्यापक प्रचार–प्रसार एवं जन–जागृति।

योजना को ग्राम पंचायत/VWSC एवं समुदाय को हस्तातंरित करने के उपरांत पीएचईडी द्वारा एक वर्ष तक Hand holding की जायेगी। इसके पश्चात् भी पीएचईडी द्वारा ग्राम पंचायत/VWSC को मांग अनुसार समय–समय पर तकनीकी सहायता दी जायेगी।

संचालन एवं संधारण से संबंधित प्रमुख कार्यः

- दैनिक जलापूर्ति का संचालन, पंप चलाने का कार्य, समय–सारणी की पालन करना।
- ग्राम के अंर्तगत विभिन्न स्रोतों, पाइपलाइन, वाल्व, स्टैंडपोस्ट, इत्यादि के रखरखाव एवं सुरक्षा का कार्य।
- क्लोरीन की मात्रा, अवशिष्ट क्लोरीन की मात्रा की निगरानी, एफटीके (FTK)–आधारित जल परीक्षण करना।
- डी–फ्लोराइडेशन यूनिट्स (DFU) और ग्राम–स्तरीय उपचार प्रणालियों का संचालन एवं संधारण करना।
- उपकरण, पुर्जे (spares) क्लोरीन, डीएफयू मीडिया (Fluoride removal media) की व्यवस्था करना।
- ग्रामीण पेयजल योजना संधारण से संबंधित मानव संसाधन की आवश्यकता का आंकलन कर ग्राम सभा में अनुमोदन करवाना।
- वी.डब्ल्यू.एस.सी द्वारा जल जीवन मिशन से सम्बन्धित सरकारी, गैर–सरकारी, उपभोक्ताओं से प्रभार राशि एवं सामुदायिक सहयोग आदि से प्राप्त होने वाली राशि के लेन–देन हेतु एक समर्पित (Escrow) पृथक बैंक खाता खुलवाया जायेगा। पूर्व में यदि पृथक से खाता उपलब्ध है, तो उस खाते को ही उपयोग में लिया जा सकेगा।
- उपभोक्ता के मासिक प्रभार राशि के बिल का वितरण एवं प्रभार राशि का संग्रह करना।
- रजिस्टरों का रखरखाव – परिसंपत्ति रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर, उपभोक्ता बही खाता, मासिक प्रभार राशि का संग्रह और वित्तीय बहीखाता (book keeping) इत्यादि। समस्त अभिलेखों का संधारण करना। संचालन एवं संधारण हेतु आगामी वर्ष का बजट ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

- मासिक प्रभार राशि के रूप में प्राप्त की गई राशि का उपयोग पंप/वाल्व ऑपरेटर/नल जल मित्र का मानदेय, पाइप लाइनों के संधारण तथा पेयजल प्रदाय योजना के अन्य समस्त सुसंगत प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।
- मासिक रिपोर्ट एकत्र कर क्लस्टर/ब्लॉक–स्तरीय सहायता समिति को अग्रेषित करना।
- दीर्घावधि जल सुरक्षा (water security) के लिए प्रति वर्ष सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर जल उपयोग की विस्तृत वॉटर आडिट– ''जल बजट'' रिपोर्ट बनाना जिससे 'पुनर्चक्रण', 'पुनः उपयोग' और जल बचत के अवसर विकसित करने में मदद मिल सके।
- अनसुलझे मुद्दों पर मार्गदर्शन लेने हेतु क्लस्टर/ब्लॉक और जिला स्तर की समितियो तक पहुंचाना।
- केन्द्रीय प्रवर्तित योजना विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) राज–पत्र अधिसूचना–की पहली अनुसूची (धारा–8(3)–प्रवर्ग–2) में मुख्य ग्रामीण अवसंरचना के बिन्दु संख्या (ix) के अनुसार जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अधीन सृजित कार्यो की रिपेयर एवं रख–रखाव के कार्य VB-G RAM G योजना में अभिसरण के अन्तर्गत करवाये जा सकते है। तदानुसार आवश्यक मरम्मत एवं संधारण का कार्य करवाया जाना।
- ग्राम के अंर्तगत स्रोतों, डब्ल्यूटीपी (WTPs), ट्रांसमिशन एवं वितरण नेटवर्क का मासिक निरीक्षण करना, लिकेज चिन्हीकरण और मरम्मत एवं निर्मित आधारभूत संरचनाऐं जैसे उच्च जलाशय/स्वच्छ जलाशय, गार्ड रूम, पाइपलाइन, वाल्व, स्त्रोत आदि की रखरखाव,एवं सुरक्षा करना।
- सामाजिक अंकेक्षण करवाना एवं "जल सेवा आंकलन" के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा स्व–मूल्यांकन किया जायेगा। इस प्रक्रिया से सेवा की मात्रा गुणवत्ता और निरन्तरता का व्यापक आंकलन एवं जिला एवं राज्य स्तर पर सेवा सुधार की योजना बनाने में सहायता प्राप्त होगी।
- ग्राम के भीतर बड़ी मरम्मत (यथा पाइपलाइन की निर्धारित उपयोग अवधि पूर्ण होने के उपरांत अथवा जर्जर होने के कारण क्षतिग्रस्त होने पर राइजिंग मेन और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइनों को बदलकर नई पाइपलाइनें स्थापित करना, जल स्रोत जैसे नलकूप में स्थापित पंप मोटर, केबल, जी.आई. पाइप, स्टार्टर तथा अन्य संबंधित उपकरणों का निर्धारित उपयोग अवधि पूर्ण होने के उपरांत प्रतिस्थापन करना, उच्च जलाशय एवं स्वच्छ जलाशय को निर्धारित उपयोग अवधि पूर्ण होने के उपरांत ध्वस्त कर उनके स्थान पर नए संरचनात्मक मानकों के अनुरूप पुनर्निर्माण कराना) के अतिरिक्त, नियमित मरम्मत का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा करवाया जाएगा। तकनीकी सहायता के लिए PHED/RWSSC के साथ समन्वय किया जा सकेगा।

6.2 **क्लस्टर समिति** (5–6 ग्राम पंचायत को सम्मिलित करते हुए) – अंतर–ग्राम समन्वय को मजबूत करने और वीडब्ल्यूएससी को तकनीकी एवं संस्थागत सहायता देने के लिए क्लस्टर समिति का गठन किया गया है। यह समिति, जल जीवन मिशन 2.0 के अन्तर्गत जारी दिशा निर्देश के अनुसार जिला स्तर पर गठित ''जिला तकनीकी इकाई (DTU)'' की तरह, क्लस्टर के अधीन आने वाले समस्त पंचायतो/ग्रामो हेतु अंतर–ग्राम स्तर पर समन्वय का कार्य करेगी। इस हेतु भविष्य में आवश्यक संशोधन/दिशा–निर्देश अपेक्स कमेटी की अनुशंषा पर जारी किये जा सकेंगे।

क्लस्टर समिति का गठन:

1. कनिष्ठ अभियंता (पीएचईडी) – संयोजक
2. प्रत्येक घटक वीडब्ल्यूएससी से एक प्रतिनिधि (ग्राम सभा से अनुमोदित) – सदस्य
3. संबंधित क्लस्टर के अन्तर्गत पंचायतीराज विभाग के सभी कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (Jr. Technical Officer) – सदस्य
4. क्लस्टर के अंतर्गत कार्यरत नल जल मित्र – सदस्य
5. स्वयं सहायता समूह के प्रतिनिधि (आवश्यकतानुसार) – सदस्य
6. PHED/RWSSC द्वारा संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ तकनीकी पर्यवेक्षक (Jr. Technical Supervisor - JTS) – सदस्य

उक्त कनिष्ठ तकनीकी पर्यवेक्षक क्लस्टर के अधीन समस्त पंचायतों/VWSC/ग्रामों की पेयजल योजनाओं के सुचारू संचालन, संधारण एवं रख–रखाव, मरम्मत कार्य, राजस्व वसूली, नये जल संबंधों इत्यादि कार्यो की निगरानी एवं सहयोग का कार्य करेंगें। VWSC से प्राप्त मासिक रिर्पोट को संकलित कर ब्लॉक टीम को अग्रेषित करना, सूचना संप्रेषण, तथा VWSC एवं PHED/RWSSC के मध्य विभागीय सहायक/कनिष्ठ अभियंता के मार्गदर्शन में तकनीकी सहायता एवं समन्वय का कार्य करेंगें।

उत्तरदायित्वः उक्त समिति क्लस्टर के अधीन समस्त पंचायतों/VWSC/ग्रामों हेतु निम्न कार्यो में तकनीकी सहायता एवं सहयोग प्रदान करेगी–

- समन्वय और निगरानी
- तकनीकी सहायता
- क्षमता निर्माण
- पर्यवेक्षण
- वित्तीय निरीक्षण
- जल गुणवत्ता निगरानी
- शिकायत निवारण
- रिपोर्टिंग और प्रलेखीकरण

6.3 **ब्लॉक स्तर – पीएचईडी ब्लॉक स्तरीय ओएंडएम एवं सपोर्ट टीम**

ब्लॉक स्तर की यह टीम, DTU के सहायक के रूप में कार्य करेगी एवं DTU, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (DWSM) तथा PHED से प्राप्त दिशा–निर्देशो के अनुसार उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाना सुनिश्चित करेगी। इस हेतु भविष्य में आवश्यक संशोधन/दिशा–निर्देश अपेक्स कमेटी की अनुशंषा पर जारी किये जा सकेंगे।

ब्लॉक स्तरीय ओएंडएम एवं सपोर्ट टीम के सदस्य – ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO), ब्लॉक स्तर के अभियन्ता (पी.एच.ई.डी, पंचायती राज, सिंचाई विभाग एवं भूजल विभाग के सहायक अभियंता/भूजल वैज्ञानिक) एवं उक्त सपोर्ट टीम के संयोजक जिले के अधीक्षण अभियंता द्वारा नामित जन स्वा. अभि. विभाग के सहायक अभियंता होंगे, जिनका अधिकांश क्षेत्र संबंधित ब्लॉक में आता हो।

उत्तरदायित्वः

- VWSC एवं क्लस्टर समिति का तकनीकी पर्यवेक्षण, क्षमता निर्माण और निरीक्षण करना।
- मोबाइल ऐप के माध्यम से PHED परिसंपत्तियों की जियो–टैगिंग से प्रमाणिक ट्रैकिंग, निरीक्षण और संचालन और रखरखाव प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- बड़ी मरम्मत में क्लस्टर समितियों और VWSC का सहयोग करना।
- ब्लॉक–स्तरीय शिकायत निवारण और रिपोर्टिंग प्रणाली बनाए रखना।
- गाँवों और क्लस्टरों के प्रदर्शन का निष्पादन अंकेक्षण (Performance Audit) एंव मूल्यांकन करना।

6.4 **जिला स्तर – जिला जल एवं स्वच्छता मिशन** (DWSM)

इसका गठन मुख्य सचिव, राजस्थान के आदेश दिनांक 29.05.2020 के अनुसार राज्य के समस्त जिलो में किया जा चुका है। यह संगठन जिला स्तर पर जल जीवन मिशन के समग्र कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। DWSM के निम्न दायित्व हैं:–

- जिला स्तरीय कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर की स्थापना।
- WIMS–आधारित कमांड और नियंत्रण केंद्र के माध्यम से योजनाओं की निगरानी करना।
- O&M मानकों, जल गुणवत्ता मानदंडों और ऊर्जा दक्षता के पालन को सुनिश्चित करवाना।
- प्रयोगशालाओं के साथ जल नमूना लेने और प्रदूषित जल के अलर्ट के लिए समन्वय करना।
- जल आपूर्ति प्रणालियों में आपातकालीन बड़ी खराबी (मेजर ब्रेकडाउन), वैकल्पिक जलापूर्ति और आपदा की विशेष परिस्थितियों के दौरान यथा ग्रीष्मकाल/ अकाल/ बाढ/युद्ध अथवा नहरबंदी की स्थिति में प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करना। उपरोक्त परिस्थितियों में जलापूर्ती में राशनिंग हेतु उचित निर्णय लेना।

जिला तकनीकी इकाई (DTU)

- जल जीवन मिशन 2.0 के दिशा निर्देशानुसार जल जीवन मिशन के अंतर्गत संपादित किये जाने वाले कार्यो के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए शासन उपसचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 01.06.2026 के द्वारा प्रत्येक जिले में एक DTU की स्थापना एवं इसके प्रमुख कार्यो एवं दायित्वों हेतु दिशा–निर्देश एवं जारी किये गये है। यह ईकाई DWSM की प्रमुख तकनीकी ईकाई के रूप में कार्य करेगी।
- इसका उद्देश्य निर्माण की गई ग्रामीण जल आपूर्ति अवसंरचनों की दीर्घकालिक कार्यक्षमता, सततता (Sustainability) और विश्वसनीय सेवा वितरण सुनिश्चित करना है।
- DTU ग्रामीण जल योजनाओ के संचालन के लिए PHED की विस्तारित तकनीकी शाखा के रूप में कार्य करेगी और सभी तकनीकी और परिचालन मामलों पर DWSM को रिपोर्ट करेगी।
- DTU जेजेएम के तहत अपनाई गई दोहरी उपयोगिता प्रणाली के अनुसार लघु सेवा प्रदाय निकाय (GP/VWSC द्वारा प्रबंधित ग्राम–स्तरीय आधारभूत संरचना) और वृहद्ध

सेवा प्रदाय निकाय (PHED द्वारा प्रबंधित बाह्य ग्राम और बल्क वाटर आधारभूत संरचना) के बीच समन्वय स्थापित करेगी।

- जिला तकनीकी ईकाई (DTU) की संरचना निम्नानुसार होगी :–
    - अधीक्षण अभियंता, जन.स्वा.अभि. विभाग जिला वृत्त (संयोजक)
    - अधीक्षण अभियंता, जन.स्वा.अभि. विभाग परियोजना वृत्त (सदस्य)
    - अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग(सदस्य)
    - अधिशासी अभियंता, जन. स्वा.अभि. विभाग (नियमित) (सदस्य)
    - अधिशासी अभियंता, जन. स्वा.अभि. विभाग (परियोजना) (सदस्य)
    - अधिशासी अभियंता / सहायक अभियंता (पंचायती राज विभाग) (सदस्य)
    - वरिष्ठ रसायनज्ञ / कनिष्ठ रसायनज्ञ जन. स्वा.अभि. विभाग (सदस्य)
    - वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक / कनिष्ठ भूजल वैज्ञानिक, भूजल विभाग (सदस्य)
    - मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि जो ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी से कम पद के न हों(सदस्य)
    - जिले के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज / पॉलीटेक्निक कॉलेज / आईटीआई से सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर / प्रशिक्षक(सदस्य)
    - सलाहकार / विशेषज्ञ (डीडब्ल्यूएसएम द्वारा मनोनीत) (सदस्य)
    - अधिशासी अभियंता एवं तकनीकी सहायक, जन. स्वा.अभि. विभाग जिला वृत्त (सदस्य सचिव)

6.5 **राज्य स्तर** – राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM)

राज्य स्तर पर समन्वय, संवाद और नीतिगत मार्गदर्शन के लिए SWSM की स्थापना की गई है जिसके तहत दो समितिया राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है–

(अ) शीर्ष समिति – मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में।

(ब) कार्यकारी समिति – विभाग के प्रशासनिक सचिव / मिशन निदेशक, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, की अध्यक्षता में ।

उक्त समितियां राज्य के ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के संचालन एंव सधारण हेतु निम्नानुसार कार्य करेगी :–

- समग्र नीतिगत निरीक्षण और निगरानी रखना।
- वार्षिक निष्पादन समीक्षा (Performance Review) और सरकार को सुधारों हेतु प्रस्तुतीकरण करना।
- राज्य स्तरीय कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर के माध्यम से SCADA, IoT और आधारभूत संरचनाओ की GIS–आधारित निगरानी एवं एकीकरण करना।
- जलमित्र पोर्टल विकसित किया जाकर, नये कनेक्शन एवं मासिक प्रभार राशि के संग्रह के लिये इस्तेमाल किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा पेयजल योजनाओं के कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और संधारण के लिए व्यय की गणना कर ग्रामीण उपभोक्ताओ से लिये जाने वाले मासिक प्रभार राशि को तय किया जायेगा।
- ग्रामीण जल आपूर्ति संचालन एंव सधारण के क्रियान्यवन हेतु विभिन्न समितियों का गठन करना।

6.6 ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजनाओं के प्रबंधन के लिए PHED (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) और ग्राम पंचायत की भूमिकाएँ निम्न प्रकार हैः–

(i) PHED/RWSSC **की भूमिका**:–

- बृहद् योजनाएँ, बहु–गाँव (Multi&village), बड़े स्त्रोत, और ट्रांसमिशन पाइपलाइन जैसी बड़ी परियोजनाओं का डिज़ाइन, तकनीकी अनुमान और निर्माण।
- जल स्त्रोत प्रबंधनः गाँवों की सीमा तक बल्क मात्रा में शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- तकनीकी सहायताः बड़ी तकनीकी खराबी आने पर या जब स्थानीय समिति उसका समाधान न कर पाए, तकनीकी सहायता प्रदान करना।
- जल गुणवत्ता परीक्षणः उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से पानी की शुद्धता और रासायनिक जाँच (जैसे फ्लोराइड) की निगरानी करना।

(ii) ग्राम पंचायत की भूमिका नीतिगत निर्णय :–

- ग्राम सभा के माध्यम से गाँव में जल प्रबंधन की रूपरेखा तय करना, पानी के प्रबंध और विकास से जुड़े प्रस्ताव पारित करना और VWSC का गठन व अनुमोदन करना।
- समन्वय और प्रशासनिक कार्यः पंचायत स्तर पर फंड (जैसे केन्द्रीय/राज्य वित्त आयोग, VB-G RAM G) का अभिसरण (Convergence) कर जल सरंचनाओं से जोड़ना।
- विवाद निवारणः जल वितरण या टैरिफ से जुड़े स्थानीय विवादों को सुलझाना।
- स्थानीय संपत्ति की सुरक्षाः पंचायत क्षेत्र की संपत्तियों और जल स्त्रोतों के विधिक अधिकारों का संरक्षण करना।
- लागू मानदंडों के अनुसार नए पारिवारिक जल कनेक्शन के प्रावधान को मंजूरी देना।
- शिकायत निवारण और विवाद समाधान तंत्र स्थापित करना।
- निधियों का समन्वय सुनिश्चित करना और सेवा प्रदायगी शुल्क और लेखा परीक्षा की निगरानी सहित विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन।

7. संचालन एंव सधारण हेतु तकनीकी कार्यप्रणाली

7.1 सेवा–स्तर के मानक एवं प्रमुख कार्य निष्पादन संकेतक (KPI) का पैमाना

- **पर्याप्त मात्रा**ः प्रत्येक ग्रामीण परिवार के हर सदस्य को प्रतिदिन कम से कम 55 लीटर शुद्ध पानी मिलना।
- **नियमित अंतराल/सतत आपूर्ति (सस्टेनेबिलिटी)**ः पेयजल की आपूर्ति नियमित रूप से एक तय समय एवं निर्धारित अन्तराल पर और पर्याप्त दबाव के साथ करना।
- **पेयजल गुणवत्ता**ः पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता BIS:10500 (2012) के मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जाना।
- सेवा मानको पर योजना का सफलतापूर्वक प्रंबधन किया जाना।
- समानुपातिक पेयजल वितरण सुनिश्चित किया जाना एवं गैर राजस्व जल (NRW) में कमी लाने का प्रयास करना।

- संचालन एंव संधारण के लिए मासिक प्रभार राशि नियमित रूप से वसूली जानी चाहिये।
- गॉव में उर्जा एवं जल दक्षता के लिये अभिनव प्रयोग किया जाना, विद्युत व्यय का खर्च निर्धारित पम्पिंग केपेसिटी/लोड अनुसार आने एवं भू जल संरक्षण एवं वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं के निर्माण एवं संचालन हेतु सफल प्रयास।

7.2 दैनिक संचालन

- पंप संचालन, मोटर पैनल की जांच, वाल्व संचालन करना।
- जलाशय स्तर और आपूर्ति के समय की सतत् निगरानी करना।
- पर्याप्त दबाव और रिसाव–मुक्त कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना।
- जलापूर्ति की अवधि एवं दैनिक पम्पिंग आवर्स (pumping hours) और विद्युत यूनिट के उपयोग का लॉगबुक का संधारण करना।

7.3 निवारक रखरखाव (Preventive Maintenance)

पेयजल तंत्र के घटको की उनके पूर्ण जीवन चक्र अवधि (life cycle) के दौरान प्रभावी उपादेयता बनाये रखने के लिए समय समय पर निवारक रख रखाव आवश्यक है जिसके तहत निम्न बिन्दुओ की पालना की जायेगी।

- नियमित अन्तराल पर पाइपलाइन का निरीक्षण; 48 घंटो के भीतर रिसाव की मरम्मत करना।
- हर 6 महीने में उच्च जलाशयों की सफाई; प्रोटोकॉल के अनुसार WTP (जल उपचार संयंत्र) की सफाई करना।
- निर्धारित अन्तराल पर मोटर, पंप और इलेक्ट्रिकल पैनल की सर्विसिंग करना।
- निर्धारित अन्तराल पर DFU मीडिया का Calibration करना एवं आवश्यकतानुसार DFU में मीडिया प्रतिस्थापन करना।
- ''राजस्थान लोक सेवा गारण्टी अधिनियम 2011'' की अनुपालना में पीएचईडी द्वारा दिनांक 17.11.2011 को जारी नागरिक अधिकार पत्र (Citizen Charter) में वर्णित संबंधित सेवाओं अनुसार, वीडब्ल्यूएससी द्वारा भी, पेयजल हेतु जल व्यवस्थाओं के बेहतर प्रबन्धन, रख–रखाव की सुचारु व्यवस्था एव उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए नागरिक अधिकार पत्र का प्रयोग किया जाना।

7.4 सुधारात्मक रखरखाव (Corrective Maintenance)

- गांवो के अन्दर की पाइप लाइन, पंपिग मशीनरी इत्यादि के सुधारात्मक रख–रखाव का कार्य वीडब्ल्यूएससी द्वारा किया जायेगा। तकनीकी मद्द के लिए ब्लॉक स्तरीय समिति से सहायता प्राप्त की जा सकेगी।
- उपरोक्तानुसार मरम्मत एवं सुधारात्मक रख–रखाव कार्यो हेतु आवश्यक संसाधन VB-G RAM G से अभिसरण कर सकेगे। जल जीवन मिशन कार्यो की मरम्मत एवं रख–रखाव हेतु VB-G Ram G की वार्षिक योजना में उपयुक्त प्रावधान रखा जावें।
- गॉव के बाहर की मुख्य पाइपलाइन/बल्क वाटर मेन मे रिसाव/फटने, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में खराबी, पंप हाउस में स्थापित पंपिग मशीनरी एवं स्विच यार्ड इत्यादि में खराबी को दुरस्त करने का कार्य पीएचईडी द्वारा किया जाएगा।

7.5 जल गुणवत्ता प्रबंधन

- प्रशिक्षित महिलाओं/सुजलाम शक्ति समूह/स्वंय सहायता समूह इत्यादि द्वारा फील्ड टेस्ट किट (FTK)–आधारित रासायनिक परीक्षण करना।
- जीवाणु परीक्षण के लिए VWSC एवं क्लस्टर समिति द्वारा सैम्पल लेकर, पीएचईडी की जिला एवं ब्लॉक लेवल अथवा मोबाइल लैब को भिजवाया जाना।
- वीडब्ल्यूएससी द्वारा फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से किए गए जल परीक्षण की रिपोर्ट को आई.एम.आई.एस. पोर्टल पर अपलोड किया जाना।
- पेयजल गुणवत्ता का स्तर BIS (IS 10500 (2012)मानकों के अनुसार संधारित करना।
- पाईप लाइन आधारित सभी जल प्रणालियों के लिए निर्धारित स्तर का क्लोरीनेशन किया जाना।
- प्रदूषित जल की घटनाओं की सूचना प्राप्त होने पर त्वरित रूप से निर्धारित प्रोटोकोल के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जायेगी। पाईप से पानी की सप्लाई बहाल होने तक वैकल्पिक रूप से अन्य सुरक्षित स्रोत या टैकरों के जरिये जिला प्रशासन से स्वीकृति लेकर सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाया जाना।
- पीएचईडी द्वारा समय–समय पर पानी की गुणवत्ता का आंकलन करने और किसी भी तरह के प्रदूषण के जोखिम का पता लगाने के लिए मानसून से पहले और बाद में पानी के स्रोत की अनिवार्य रूप से जांच की जायेगी।

7.6 उपभोक्ता सेवा, बिलिंग और संग्रह

- ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार VWSC द्वारा नए जल कनेक्शनों की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान करना। इस संदर्भ में पारित प्रस्ताव के अनुसार आवश्यक दिशानिर्देश ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य सचिव द्वारा जारी किये जायेंगे।
- पेयजल–योजनाओं के संचालन एवं संधारण पर होने वाले विभिन्न व्यय राशि में से अनुदानित दर पर ''प्रभार राशि'' ली जायेगी।
- ग्रामीण क्षेत्रो में नवीन जल कनेक्शन, मासिक प्रभार राशि अथवा बल्क वाटर चार्ज, राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना एवं समय समय पर संशोधित दरो के अनुसार निर्धारित की जायेगी। VWSC द्वारा उपभोक्ता के मासिक प्रभार राशि के बिल का वितरण एवं राशि का संग्रह किया जायेगा।
- प्रत्येक घर से नियमित 11 माह लगातार मासिक प्रभार राशि प्राप्त होने पर एक माह के मासिक प्रभार की छूट प्रोत्साहन (इंसेंटिव) के रूप में दी जा सकेगी।
- उपभोक्ताओ के मासिक प्रभार के बिल वितरण एवं राशि संग्रह करने के कार्य हेतु सुजलाम शक्ति समूह/स्वयं सहायता समूह; आशा सहयोगिनी; क्लस्टर समिति अथवा अन्य की सहायता ली जा सकेगी जिन्हे इंसेंटिव के रूप में प्राप्त प्रभार राशि में से कुछ राशि दिया जा सकता है।
- प्रभार राशि का भुगतान न करने पर प्रथम बार में समझाइश एवं चेतावनी दी जाएगी। पुनः दोहराए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना, तत्पश्चात् जल संबंध विच्छेद की कार्यवाही की जाएगी।

7.7 पेयजल के दुरुपयोग एवं अवैध कनेक्शन पर कार्यवाही

- पेयजल के दुरुपयोग /बूस्टर लगाकर पेयजल वितरण को प्रभावित करने/पानी की चोरी करने/अवैध जल संबंध/पेयजल वितरण तंत्र को हानि पहुचाने/पेयजल प्रदुषित

करने/पानी की बर्बादी इत्यादि पर प्रथम बार में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा समझाइश एवं चेतावनी दी जाएगी।

- पुनः दोहराए जाने की स्थिति में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग/ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में निर्धारित जुर्माना, तत्पश्चात जल संबंध विच्छेद एवं आपराधिक रिर्पोट दर्ज की जाएगी।

8. वित्तीय स्थिरता

8.1 जल प्रभार

ग्रामीण क्षेत्रों मे जलप्रदाय योजनाओं के संचालन एवं संधारण हेतु वित्तिय स्थिरता के लिए निम्न माध्यम से आवश्यक वित्त्त पोषण सुनिश्चित किया जाएगा–

- ❖ उपभोक्ताओं से एकत्र मासिक प्रभार राशि
- ❖ केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत पेयजल हेतु टाइड फण्ड
- ❖ राज्य वित आयोग से प्राप्त निधि
- ❖ राज्य बजट मद
- ❖ सांसद/विधायक निधि कोष
- ❖ डी.एम.एफ.टी एवं अन्य योजनाऐं .
- ❖ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम, गैर–सरकारी एवं सामुदायिक सहयोग

राज्य स्तरीय जल आपूर्ति संचालन एंव सधारण समिति द्वारा उपरोक्त माध्यम से प्राप्त निधियों से निम्न दायित्व सुनिश्चित किये जायेगें–

- ❖ VWSC उपयोगकर्ता से राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक प्रभार राशि एकत्र करेगी जो O&M लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। निर्धारित मासिक प्रभार राशि से संचालन एवं संधारण का खर्चा अधिक होने पर शेष राशि केन्द्रीय वित्त आयोग (पेयजल टाइड फण्ड), राज्य वित आयोग एवं राज्य बजट मद से लिया जायेगा।

8.2 विभिन्न निधियों के उपयोग हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश :–

अ. उपभोक्ताओं से एकत्र मासिक प्रभार राशि – पंप/वाल्व ऑपरेटर का मानदेय, पाइप लाइनों के संधारण, लघु मरम्मत कार्य, मासिक प्रभार बिल वितरण एवं राशि संग्रहकर्त्ता को प्रोत्साहन राशि तथा गॉव में पेयजल प्रदाय योजना के समस्त अन्य सुसंगत प्रयोजनों के लिए।

ब. केन्द्रीय वित्त आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को बंध–अनुदान (Tied Grants) की राशि का उपयोग पेयजल आपूर्ति, जल संचयन और जल पुनर्चक्रण की बुनियादी सेवाओं एवं स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ODF) की स्थिति और रखरखाव के लिए उपयोग में लिया जाएगा।

स. राज्य वित आयोग के तहत पंचायती राज संस्थाओं को प्राप्त होने वाली अनुदान राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था बाबत् (पेयजल आपूर्ति जिसमें पेयजल टंकियों का निर्माण, पाईप लाईन की स्थापना एवं रख–रखाव, हेण्डपम्प स्थापना एवं रख–रखाव इत्यादि शामिल है, विद्युत व्यय, पुर्नस्थापना) वहन किया जाना है।

द. राज्य बजट मद – सभी बहुग्राम योजना एवं बल्क वॉटर योजना के विद्युत बिलो का भुगतान, प्रमुख पाइपलाइन एवं पम्प मशीनरी के मरम्मत कार्य, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में खराबी, बिजली की बडी खराबी इत्यादि मरम्मत कार्य, उच्च जलाशयों की सफाई, बहुग्राम योजना एवं बल्क वॉटर योजना के संवेदको का भुगतान इत्यादि।

य. अन्य निधियों का अभिसरण – पेयजल व्यवस्था संधारण हेतु जल स्त्रोतों की संधारणीयता (Sustainability) अत्यन्त आवश्यक है ताकि पेयजल हेतु निर्मित बुनियादी ढाँचे पर हुआ व्यय व्यर्थ न हो। जल संरक्षण के कार्य हेतु मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जल शक्ति अभियान–कैच द रेन, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन(ग्रामीण), सांसद/विधायक निधि कोष, सीएसआर, डी.एम.एफ.टी/स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, अन्य उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं समान प्रकृति की समय–समय पर संचालित अन्य योजनाओं से प्राप्त निधियो का अभिसरण करवाया जाना।

8.3 **चक्रीय निधि** (Revolving Fund)

- प्रत्येक VWSC नियमित रखरखाव के लिए एक चक्रीय निधि बनाए रखेगा।
- चक्रीय निधि हेतु नवीन जल संबंध राशि, मासिक प्रभार राशि, पूर्व में VWSC द्वारा सामुदायिक योगदान से एकत्रित की गई राशि, जनसहयोग इत्यादि से राशि जुटाई जा सकेगी।

8.4 **लेखांकन और लेखा परीक्षा** (Accounting & Audit)

- प्रत्येक वी.डब्लू.एस.सी. दैनिक/मासिक आधार पर पारदर्शी लेखा (Account) संधारण करेगी।
- क्लस्टर समिति अपने अधीन प्रत्येक घटक VWSC के लेखा–खातों का त्रैमासिक सत्यापन करवायेगी।
- संबंधित ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा वार्षिक वित्तीय अकेंक्षण एवं सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) एवं वॉटर ऑडिट करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- राज्य सरकार द्वारा VWSC के लेखा खातों का स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग (LFAD) के द्वारा भी VWSC के लेखा खातों का अंकेक्षण करवाया जा सकेगा।

9. शिकायत निवारण तंत्र

- **ग्राम स्तरः** वी.डब्लू.एस.सी. द्वारा शिकायत रजिस्टर तैयार करना एवं विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का समाधान करना।
- शिकायत निवारण के लिए नागरिक इंटरफ़ेस – शिकायत और प्रतिक्रिया के निवारण तंत्र के लिए सुजल गांव आईडी से मेरी पंचायत ऐप और ई–ग्राम स्वराज शिकायतों का एकीकरण करना।
- **ब्लॉक स्तरः** एवं जिला स्तर पर राजस्थान हेल्पलाइन 181 और जिला स्तरीय कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल सेन्टर के माध्यम से शिकायतों के निवारण की निगरानी की जायेगी।
- शिकायतों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी नागरिक अधिकार पत्र में वर्णित समय सीमा के भीतर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. सूचना, शिक्षा, संचार (IEC), क्षमता संवर्धन एवं मानव संसाधन विकास

- जल संरक्षण, स्वच्छता और प्रदूषित जल जोखिमों पर ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
- वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा दिया जायेगा।
- सुरक्षित जल प्रबंधन और घरेलू भंडारण पर सामुदायिक प्रशिक्षण दिया जायेगा।

- सरपंचों/वी.डब्ल्यू.एस.सी. सदस्यो/पंचायत के निर्वाचित सदस्यो/कर्मियो के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण सुनिश्चित करना।
- सुजलाम शक्ति समूहों/स्वयं सहायता समुह के सदस्यों/प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1–2 महिलाओं इत्यादि को फील्ड टेस्ट किट (FTK) का उपयोग करके जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए जोड़ना एवं प्रशिक्षण देना।
- आवश्यकतानुसार समय– समय पर सुजलाम शक्ति समूह के सदस्यो को रिफ्रेशर प्रशिक्षण।
- संचालन से संबंधित स्टाफ/मानव संसाधनों का विकास करना –
  - **नल जल मित्र एवं अन्य कार्मिकों का प्रशिक्षण**

    नल जल मित्र एवं अन्य कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु ग्राम पंचायत द्वारा समय–समय पर विभिन्न संस्थानों से समन्वय कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जायेगे। उक्त कार्मिकों के माध्यम से लिकेज, पम्प मोटर की माइनर रिपेयर, विद्युत फाल्ट दुरूस्त करने, मीटर की रिडिंग लेना, उपभोक्ताओं का लेजर धारण करना, जल शुल्क एकत्र करना इत्यादि कार्य करवाये जा सकेंगे।

    नल जल मित्र के संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें।

11. **ऊर्जा दक्षता**

- सौर उर्जा–आधारित पंपिंग प्रणालियों को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा आगामी वर्षो में चरणबद्ध तरीके से सौर उर्जा का अधिकतम उपयोग कर पम्पिंग सिस्टम इत्यादि के विद्युत व्यय/संधारण लागत में कमी लाने का प्रयास किया जायेगा।
- ऊर्जा मीटर और अधिक दक्षता की मोटर प्रयोग में ली जायेगी।
- लागत आंकलन एवं बचत के लिए वार्षिक ऊर्जा अंकेक्षण किया जायेगा।
- इस हेतु पीएचईडी/जिला जल एवं स्वच्छता मिशन/ग्राम पंचायत द्वारा संयुक्त रूप से प्रयास किए जाएंगे।

12. **पारम्परिक जल संग्रहण संरचनाओं का उपयोग एवं अपशिष्ट जल (ग्रे–वॉटर) का पुनः उपयोग**

- VWSC द्वारा छत के वर्षा जल के संग्रहण, अन्य वर्षा जल का संग्रहण, अवशिष्ट जल का पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण को प्रबल रूप से प्रोत्साहित किया जाऐगा।
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जल शक्ति अभियान–कैच द रेन, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन एवं समय समय पर समान प्रकृति के चलने वाले अभियानो के तहत जल संरक्षण, भूजल रिचार्ज, जल निकायों की मरम्मत और पुनरूद्धार के कार्य करवाना एवं जन सामान्य में प्रचार प्रसार करना।
- VWSC द्वारा विशेषकर नलकूपों पर आधारित एकल ग्राम योजनाओ पर भूजल दोहन नियंत्रण एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित करना।
- VWSC द्वारा अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग हेतु सभी उपभोक्ताओ को प्रेरित करना एवं ग्राम स्तर पर भी स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों से घरेलू स्तर की जल–उपचारण एवं पुर्नउपयोग इकाइयां (व्यक्तिगत सोख्ता गड्ढे/लीच पिट/मैजिक पिट्स/किचन गार्डन, आदि) सामुदायिक स्तर पर सोख्ता गड्ढे; नाली व्यवस्था और अपशिष्ट जल शोधन इकाइयों का निर्माण करना।

13. **स्त्रोत सततता (Source Sustainability)** – नल से सार्वजनिक जल आपूर्ति (Piped Water Supply) योजनाओं के लिए स्रोत सततता का आशय ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के पेयजल स्त्रोतो की दीघ्रकालिक विश्सनीयता, पर्याप्तता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने से है। इसके अन्तर्गत स्त्रोत की मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों को ऐसे स्तर पर बनाये रखना शामिल है, जो वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो, साथ ही पारिस्थितिकीय दबाव को रोकते हुये योजनाओं की कार्यक्षमता में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न होने दे।

13.1 **स्त्रोत सततता समितियां (Source Sustenance Committees)** – जल जीवन मिशन (JJM 2-0) के तहत जल स्रोतों की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई त्रिस्तरीय संस्थागत व्यवस्था है। इन समितियों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

- ❖ **राज्य स्तरीय स्त्रोत सततता समिति** (State Level Source Sustenance Committee)– राज्य स्तर पर प्रमुख शासन सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय स्त्रोत सततता समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें विभिन्न विभागो के सचिव स्तर के अधिकारी सदस्य होंगे। इस हेतु पृथक से आदेश जारी किया जायेगा। जल सुरक्षा योजनाओं (Water Security Plans) के लिए नीतियां बनाना और उनका मार्गदर्शन करना।
- ❖ **जिला स्तरीय स्त्रोत सततता समिति** (District Source Sustenance Committee)– जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय स्त्रोत सततता समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें विभिन्न विभागो के अधीक्षण अभियंता/वरिष्ठ भूजल विज्ञानी/ अधिशाषी अभियंता सदस्य होंगे। इस हेतु पृथक से आदेश जारी किया जायेगा। यह सुनिश्चित करेगी कि जिले के सभी जल निकायों और पेयजल स्रोतों का प्रभावी ढंग से रखरखाव किया जाए।
- ❖ **ग्राम पंचायत/ग्राम स्तरीय स्त्रोत सततता समिति** (GP/Village Source Sustenance Committee) – ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) ही स्रोत सततता समिति के रूप में कार्य करेगी। यह सीधे तौर पर गांव में जल स्रोतों की स्थिरता, पानी की गुणवत्ता, भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge) और जल संरक्षण के उपायों को लागू करने एवं लोगों को जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए जागरूक करने का भी काम करेगी।

13.2 **जिला स्रोत सतत् विकास कार्य योजनाऐं** (District Source Sustainability Action Plans) – जिला तकनीकी इकाई (डीटीयू) द्वारा तैयार और डीडब्ल्यूएसएसएम द्वारा अनुमोदित कर डीएसएस पर अपलोड करना।

13.3 **निर्णय सहायता प्रणाली (**Decision Support System)– जल स्रोत सततता के लिए निर्णय सहायता प्रणाली (DSS) एक प्रमुख डिजिटल ढांचा है, जिसमें स्थानिक और जलवायु एकीकरण, कृत्रिम जल पुनर्भरण आवश्यकता, सुजलाम भारत एकीकरण इत्यादि तकनीको का उपयोग करके पेयजल स्रोतों की लगातार निगरानी, स्रोत की स्थिरता, कृत्रिम जल पुनर्भरण आवश्यकता एवं भूजल स्रोतों की ज़ोनिंग करने में जिला जल एवं स्वच्छता समिति एवं वीडब्ल्यूएससी को सहायता मिलेगी।

14. **रिपोर्टिंग और निगरानी**

- सार्वजनिक प्रकटीकरण (Public Disclosure)– ग्रामीण पेयजल के निम्नलिखित पाँच महत्वपूर्ण मापदंडों को सभी ग्राम पंचायतें और जिले, मेरी पंचायत एप, ग्राम पंचायत भवन, पंचायत समिति भवन इत्यादि स्थानो पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेंगे:
  - ❖ जल गुणवत्ता परीक्षण की स्थिति
  - ❖ कार्यक्षमता स्थिति (घरेलू नल आपूर्ति के दिन/घंटे, मात्रा/गुणवत्ता, दबाव)
  - ❖ शिकायत निवारण की स्थिति
  - ❖ संचालन एवं रखरखाव निधि का संग्रहण और उपयोग
  - ❖ स्रोत स्थिरता संबंधी कार्य
- मासिक रिपोर्ट – VWSC द्वारा उपरोक्त बिंदुओ पर मासिक रिपोर्ट तैयार कर क्लस्टर समिति को भिजवायी जायेगी।
- समेकित रिपोर्ट–
  - ❖ क्लस्टर समिति द्वारा घटक VWSC से प्राप्त मासिक रिपोर्ट को संकलित कर ब्लॉक टीम को रिपोर्ट भिजवायी जायेगी। क्लस्टर समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्टो का विश्लेषण कर चिन्हित बिन्दुओं/समस्याओ का निस्तारण भी स्वयं के स्तर पर किया जायेगा।
  - ❖ ब्लॉक टीम द्वारा क्लस्टर समिति से प्राप्त रिपोर्ट को इकजाई कर DTU को भिजवायी जायेगी।
  - ❖ DTU द्वारा इन रिर्पोट का विश्लेषण किया जाकर कार्यवाही किये जाने वाले बिन्दुओं को संकलित कर DWSM को प्रस्तुत कर विस्तृत चर्चा एवं समीक्षा की जायेगी।
  - ❖ DWSM द्वारा संकलित रिपोर्ट राज्य सरकार (पीएचईडी एवं पंचायतीराज विभाग) को भिजवायी जायेगी।
- त्रैमासिक प्रदर्शन/समीक्षा रिपोर्ट – जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा ब्लॉक स्तर पर तैयार रिपोर्ट की त्रैमासिक समीक्षा की जायेगी ।
- Command and Control Center/ SCADA– पेयजल व्यवस्था तंत्र की ऑनलाईन डैशबोर्ड पर सतत् निगरानी की जायेगी।

15. **अंतरविभागीय मुद्दो का निस्तारण**:–

राज्य की ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लिए संचालन एवं संधारण नीति की क्रियान्वति के दौरान समय–समय पर आने वाले अंतरविभागीय प्रकरण के समाधान/समन्वय हेतु राज्य स्तर पर SWSM एवं जिला स्तर पर DWSM अंतरविभागीय समन्वय समिति का कार्य करेगी।

16. नीति **क्रियान्वयन** (Policy Enforcement)

- उक्त नीति पीएचईडी द्वारा लाभान्वित सभी ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर लागू होगी।
- उक्त नीति, राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज निगम (RWSSC) जिसे राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन से सम्बन्धित योजनाओं के कार्यो हेतु कार्यकारी एजेन्सी नामित किया गया है, पर भी लागू रहेगा। भविष्य में पीएचईडी के अन्य दायित्वो को भी राज्य सरकार से सक्षम अनुमोदन पश्चात् निगम को हस्तातंरित किया जा सकता है।
- कार्य निष्पादन मूल्यांकन एवं समीक्षा के आधार पर नीति का प्रत्येक 5 वर्ष में अथवा आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

- भविष्य में क्षेत्रीय आवश्यकतानुसार उक्त पॉलिसी में संशोधन प्रशासनिक विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

17. **नीति प्रभावी होने की तिथि** (Policy Effective Date)

- यह संचालन एवं संधारण (O&M) नीति, सरकारी अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।